



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12062026-273405
CG-DL-E-12062026-273405

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2921]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 12, 2026/ज्येष्ठ 22, 1948

No. 2921]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 12, 2026/JYAISTHA 22, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जून, 2026

का.आ. 3027(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 ए की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि गोवा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग- (एनएच-748) के भोमा से ओल्ड गोवा खंड (किमी. 135.050 से किमी. 142.050 तक) का हाइब्रिड वार्षिकी मोड पर 4 लेन निर्माण (अतिरिक्त भूमि) की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3सी की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् विशेष भू-अर्जन अधिकारी, लोक निर्माण विभाग - राष्ट्रीय राजमार्ग, अल्टिन्हो, पणजी - गोवा, को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपो

की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात् यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ;

उक्त अधिनियम की धारा 3सी की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा ; और

इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध है और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

गोवा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग- (एनएच-748) के भोमा से ओल्ड गोवा खंड (किमी. 135.050 से किमी. 142.050 तक) का हाइब्रिड वार्षिकी मोड पर 4 लेन निर्माण (अतिरिक्त भूमि)

राज्य का नाम: गोवा			जिले का नाम: दक्षिण गोवा		
क्रमिक संख्या 1	सर्वेक्षण संख्या 2	भूमि का प्रकार 3	भूमि की प्रकृति 4	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई) 5	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर) 6
तालुक का नाम: फोंडा					
गांव का नाम: भोम					
1	42/1 भाग	निजी	गीला	58 (वर्ग मीटर)	0.0058000
2	42/2 भाग	निजी	गीला	208 (वर्ग मीटर)	0.0208000
3	42/3 भाग	निजी	गीला	1790 (वर्ग मीटर)	0.1790000
4	42/4 भाग	निजी	गीला	133 (वर्ग मीटर)	0.0133000
5	42/5 भाग	निजी	गीला	165 (वर्ग मीटर)	0.0165000
6	42/6 भाग	निजी	गीला	178 (वर्ग मीटर)	0.0178000
7	42/7 भाग	निजी	गीला	342 (वर्ग मीटर)	0.0342000
8	42/8 भाग	निजी	गीला	360 (वर्ग मीटर)	0.0360000
9	43/1 भाग	निजी	गीला	553 (वर्ग मीटर)	0.0553000
10	43/2 भाग	निजी	गीला	402 (वर्ग मीटर)	0.0402000
11	43/3 भाग	निजी	गीला	130 (वर्ग मीटर)	0.0130000
12	43/3-ए भाग	निजी	गीला	143 (वर्ग मीटर)	0.0143000
13	43/4 पार्ट	निजी	गीला	325 (वर्ग मीटर)	0.0325000
14	44/1 भाग	निजी	गीला	294 (वर्ग मीटर)	0.0294000
15	50/1 भाग	निजी	गीला	87 (वर्ग मीटर)	0.0087000
16	50/10 भाग	निजी	गीला	33 (वर्ग मीटर)	0.0033000
17	50/11 भाग	निजी	गीला	81 (वर्ग मीटर)	0.0081000
18	50/3 भाग	निजी	गीला	35 (वर्ग मीटर)	0.0035000
19	50/5 भाग	निजी	गीला	9 (वर्ग मीटर)	0.0009000
20	50/7 भाग	निजी	गीला	170 (वर्ग मीटर)	0.0170000
21	50/9 भाग	निजी	गीला	50 (वर्ग मीटर)	0.0050000

22	51/1 भाग	निजी	गीला	850 (वर्ग मीटर)	0.0850000
23	51/2 भाग	निजी	गीला	70 (वर्ग मीटर)	0.0070000
24	51/3 भाग	निजी	गीला	40 (वर्ग मीटर)	0.0040000
25	51/4 भाग	निजी	गीला	14 (वर्ग मीटर)	0.0014000
26	51/5 भाग	निजी	गीला	27 (वर्ग मीटर)	0.0027000
27	51/6 भाग	निजी	गीला	22 (वर्ग मीटर)	0.0022000
28	52/5 भाग	निजी	गीला	53 (वर्ग मीटर)	0.0053000
29	52/6 भाग	निजी	गीला	122 (वर्ग मीटर)	0.0122000
30	52/7 भाग	निजी	गीला	702 (वर्ग मीटर)	0.0702000
गांव का नाम: कुंडई					
31	23/11 भाग	निजी	गीला	18 (वर्ग मीटर)	0.0018000
32	23/12 भाग	निजी	गीला	62 (वर्ग मीटर)	0.0062000
33	23/15 भाग	निजी	गीला	208 (वर्ग मीटर)	0.0208000
34	23/20 भाग	निजी	गीला	215 (वर्ग मीटर)	0.0215000
35	23/20-ए भाग	निजी	गीला	169 (वर्ग मीटर)	0.0169000
36	23/5 भाग	निजी	गीला	2 (वर्ग मीटर)	0.0002000
37	23/9 भाग	निजी	गीला	16 (वर्ग मीटर)	0.0016000
38	29/1 भाग	निजी	गीला	15 (वर्ग मीटर)	0.0015000
39	29/1-डी भाग	निजी	गीला	97 (वर्ग मीटर)	0.0097000
40	29/6 भाग	निजी	गीला	100 (वर्ग मीटर)	0.0100000
41	30/11 भाग	निजी	गीला	450 (वर्ग मीटर)	0.0450000
42	30/7 भाग	निजी	गीला	65 (वर्ग मीटर)	0.0065000
कुल योग					0.8863000

[फा. सं. RW/NH-37014/2/2016-NHDP-IVA/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th June, 2026

S.O. 3027(E).— In exercise of the powers conferred by sub section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956(48 of 1956) (herein after referred to as the said Act), the central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for the Land Acquisition for the work of 4-Laning of Bhoma to Old Goa Section of NH-748 from Km. 135.050 to Km. 142.050 on Hybrid Annuity Mode in the State of Goa (Additional Land) hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in Official Gazette, object to use land for the aforesaid purpose under Sub Section (1) of Section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, The Special Land Acquisition Officer, PWD-National Highways, Altinho, Panaji – Goa, in writing and shall set out the grounds thereof, and the Competent

Authority shall give the objector, an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the Competent Authority, thinks necessary by order either allow/disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub section (2) of Section 3C of the said Act shall be final;

The land plans and other details of lands covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the above said office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Land Acquisition for the work of 4-Laning of Bhoma to Old Goa Section of NH-748 from Km. 135.050 to Km. 142.050 on Hybrid Annuity Mode in the State of Goa (Additional Land)

State: GOA			District: SOUTH GOA		
Sl. No. 1	Survey/Plot Number 2	Type of Land 3	Nature of Land 4	Area (in Local Unit) 5	Area (in Hectares) 6
Taluk: Ponda					
Village: Boma					
1	42/1 Part	Private	Wet	58 (Square meter)	0.0058000
2	42/2 Part	Private	Wet	208 (Square meter)	0.0208000
3	42/3 Part	Private	Wet	1790 (Square meter)	0.1790000
4	42/4 Part	Private	Wet	133 (Square meter)	0.0133000
5	42/5 Part	Private	Wet	165 (Square meter)	0.0165000
6	42/6 Part	Private	Wet	178 (Square meter)	0.0178000
7	42/7 Part	Private	Wet	342 (Square meter)	0.0342000
8	42/8 Part	Private	Wet	360 (Square meter)	0.0360000
9	43/1 Part	Private	Wet	553 (Square meter)	0.0553000
10	43/2 Part	Private	Wet	402 (Square meter)	0.0402000
11	43/3 Part	Private	Wet	130 (Square meter)	0.0130000
12	43/3-A Part	Private	Wet	143 (Square meter)	0.0143000
13	43/4 Part	Private	Wet	325 (Square meter)	0.0325000
14	44/1 Part	Private	Wet	294 (Square meter)	0.0294000
15	50/1 Part	Private	Wet	87 (Square meter)	0.0087000
16	50/10 Part	Private	Wet	33 (Square meter)	0.0033000
17	50/11 Part	Private	Wet	81 (Square meter)	0.0081000
18	50/3 Part	Private	Wet	35 (Square meter)	0.0035000
19	50/5 Part	Private	Wet	9 (Square meter)	0.0009000

20	50/7 Part	Private	Wet	170 (Square meter)	0.0170000
21	50/9 Part	Private	Wet	50 (Square meter)	0.0050000
22	51/1 Part	Private	Wet	850 (Square meter)	0.0850000
23	51/2 Part	Private	Wet	70 (Square meter)	0.0070000
24	51/3 Part	Private	Wet	40 (Square meter)	0.0040000
25	51/4 Part	Private	Wet	14 (Square meter)	0.0014000
26	51/5 Part	Private	Wet	27 (Square meter)	0.0027000
27	51/6 Part	Private	Wet	22 (Square meter)	0.0022000
28	52/5 Part	Private	Wet	53 (Square meter)	0.0053000
29	52/6 Part	Private	Wet	122 (Square meter)	0.0122000
30	52/7 Part	Private	Wet	702 (Square meter)	0.0702000
Village: Cundaim					
31	23/11 Part	Private	Wet	18 (Square meter)	0.0018000
32	23/12 Part	Private	Wet	62 (Square meter)	0.0062000
33	23/15 Part	Private	Wet	208 (Square meter)	0.0208000
34	23/20 Part	Private	Wet	215 (Square meter)	0.0215000
35	23/20-A Part	Private	Wet	169 (Square meter)	0.0169000
36	23/5 Part	Private	Wet	2 (Square meter)	0.0002000
37	23/9 Part	Private	Wet	16 (Square meter)	0.0016000
38	29/1 Part	Private	Wet	15 (Square meter)	0.0015000
39	29/1-D Part	Private	Wet	97 (Square meter)	0.0097000
40	29/6 Part	Private	Wet	100 (Square meter)	0.0100000
41	30/11 Part	Private	Wet	450 (Square meter)	0.0450000
42	30/7 Part	Private	Wet	65 (Square meter)	0.0065000
Total					0.8863000

[F. No. RW/NH-37014/2/2016-NHDP-IVA/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director